36/2022

20.09.2022 पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी वास्ते फौतगी की सूचना में आवश्यक पक्षकार हटाने पेश किया जिस पर बहस सुनी गई।

वादी वकील की बहस है कि प्रतिवादी सं. 1 पारूदेवी का देहान्त दिनांक 13.04.2022 को हो गया है, परन्तु वादीनी प्रतिवादी सं. 1 का गोदपुत्र होने व विधिक वारिसान होने के कारण अपनी माता के धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त होने के अपने अधिवक्ता को सूचना नहीं दे पाया। प्रतिवादी सं. 1 पारूदेवी के हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के एक मात्र वारिसान वादी ही है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को गोद लिया गया तथा वादी के पक्ष में एक पंजीबद्व गोदनामा दिनांक 23.09.2021 निष्पादित कर दिनांक 24.09.2021 को पंजीबद्व करवाया गया। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं. 1 को रेकर्ड से विलोपित किया जाना न्यायोचित है।

हमनें वादी वकील की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादी का मूल वाद में इस्तदुआ यह है कि प्रतिवादी सं. 1 पारूदेवी के हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के एक मात्र वारिसान वादी ही है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को गोद लिया गया तथा वादी के पक्ष में एक पंजीबद्व गोदनामा दिनांक 23.09.2021 निष्पादित कर दिनांक 24.09.2021 को पंजीबद्व करवाया गया, तथा वादी प्रतिवादी सं. 1 का गोदपुत्र तथा प्रथम श्रेणी का वारिसान होने से प्रतिवादी सं. 1 को रेकर्ड से विलोपित किया जाना है। मूल दावा पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की प्रारम्भिक एवं एक मात्र इस्तदुआ यह है कि प्रतिवादी सं. 1 जो कि वादी की माता है तथा वादी गोद पुत्र होने के नाते अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवानी चाही, परन्तु जब किसी वाद पत्र के चाही गई इस्तदुआ के संबंध में पक्षकार की मृत्यु अथवा विलोपित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वाद की परिस्थितियों में भिन्नता आने से वाद का महत्त्व ही समाप्त हो जाता है। उक्त वाद में भी यही दशा है कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से रिलिफ(प्रतिकर) चाहते हुए प्रतिवादी सं. 1 के साथ बराबर रूप से खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश किया है, जबकि प्रतिवादी सं. 1 जो कि स्वयं फौत होने से वाद [illegible] उत्तराधिकारी होने के नाते हिन्दु उत्तराधिकारी [illegible] तौर पर जरिये नामान्तकरण के [illegible] करने हेतु सक्षम एवं स्वतत्र है। [illegible] इस्तदुआ के लिए प्रतिवादी सं. 1 के फौत होने पर अपोषणीय हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:45:02 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बाद विवेचन के वादी का वाद अपोषणीय होने की दशा में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

20/09/2022
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी